न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 06/2014/ जिला–अजमेर(2014/00021)

1. श्री मुमताज मोहम्मद खां पुत्र श्री करामत खां
2. श्री लियाकत खां पुत्र श्री हसन मोहम्मद
3. श्री सराफत अली पुत्र श्री हसन मोहम्मद
   समस्त निवासीगण गगवाना तह0 अजमेर।

–––अपीलांट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर जिला अजमेर।

–––––रेस्पोन्डेन्ट

———

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर, अजमेर दिनांक 08–11–2013
अन्तर्गत अपील संख्या 06/2012 बउनवान मुमताज मोहम्मद खां व अन्य
बनाम राजस्थान सरकार

उपस्थित– 1. श्री हगामीलाल, अभिभाषक अपीलांट्स

निर्णय

दिनांकः– 17.4.2018

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम गगवाना में स्थित विवादग्रस्त आराजियात हाल खसरा नम्बर 846 से 849, 859 साबिक खसरा नम्बर 659 से 662 एवं 670 कुल रकबा 14 बीघा 18 बिस्वा 10 बिस्वांसी का पंजीकृत बेचाननामे के अनुसार तहसीलदार, अजमेर के समक्ष नामान्तरकरण स्वीकृति हेतु आवेदन किया जिसे उन्होंने अपने आदेश दिनांक 4–11–2011 द्वारा विक्रय पत्र में अंकित खसरा नम्बरान का रकबा राजस्व रेकार्ड से मिलान नहीं होना तथा खातेदारान का मिलान भी राजस्व रेकार्ड से नहीं होना अंकित कर नामान्तरकरण किया जाना संभव नहीं होना अंकित करते हुए प्रार्थना पत्र संग्रहित कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध जिला कलक्टर, अजमेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसे उन्होंने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 8–11–2013 द्वारा अपीलांट की अपील

खारिज कर दी उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील Sub-to-limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट के विद्वान अभिभाषक की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा मियाद अधिनियम की धारा–5 पर अपीलांट की ओर से पक्ष रखते हुए कथन किया कि अपीलांट काफी वृद्ध होकर पेशी पर उपस्थित नहीं हो सका और उसका अपने अभिभाषक से सम्पर्क नहीं हो सका। दिनांक 11–2–2014 को अपने अभिभाषक से सम्पर्क किया तब मालूम हुआ कि उक्त प्रकरण में 8–11–2013 को आदेश पारित हो चुका है और अपील खारिज कर दी तब अपीलांट ने उक्त आदेश के विरूद्ध अपील पेश करने हेतु कहा और उक्त अपील अन्दर मियाद पेश की जा रही है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट के मियाद के बिन्दु पर दिये गये तर्कों पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अभिभाषक अपीलान्ट् द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान अपील में उल्लेखित कथनों को दोहराते हुए मुख्य–मुख्य तर्क यह दिये कि ग्राम गगवाना में स्थित विवादग्रस्त आराजियात हाल खसरा नम्बर 846 से 849, 859 साबिक खसरा नम्बर 659 से 662 एवं 670 कुल रकबा 14 बीघा 18 बिस्वा 10 बिस्वांसी का पंजीकृत बेचाननामे के अनुसार अपीलांट द्वारा तहसीलदार, अजमेर के समक्ष नामान्तरकरण स्वीकृति हेतु आवेदन किया। उक्त प्रार्थना पत्र पेश करने पर पटवारी हलका द्वारा रिकार्ड एवं मौके की समुचित जांच नहीं कर अपनी रिपोर्ट में विक्रय पत्र में अंकित खसरा नम्बर के रकबे का वर्तमान राजस्व रेकार्ड से एवं खातेदार का मिलान नहीं होने की रिपोर्ट पेश की जाने पर तहसीलदार द्वारा नामान्तरकरण दर्ज करने बाबत कोई आदेश पारित नहीं किये गये तथा प्रार्थना पत्र पर विधिक आदेश पारित नहीं कर उक्त प्रार्थना पत्र पर दिनांक 4–11–2011 को नामान्तरकरण संभव नहीं होना दर्ज कर दिया। तहसीलदार, अजमेर द्वारा आदेश दिनांक 4–11–2011 पारित करने से पूर्व अपीलांट को कोई नोटिस अथवा सूचना नहीं दी गई तथा अपीलांट का प्रार्थना पत्र संग्रहित कर लिया। विवादग्रस्त आराजियात बाबत निष्पादित बेनामें में साबिक व हाल खसरा नम्बर, चौसाला जमाबंदी में अंकित खातेदारान द्वारा विधिवत बेनामा निष्पादित किया गया है। मुताबिक बेनामा, कब्जा नामान्तरकरण अपीलांट्स के नाम होने पर भी जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा उक्त तथ्यों पर गौर नहीं कर अपीलांट की अपील खारिज कर दी। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार

कर जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 8–11–2013 निरस्त किया जाकर अपीलांट के नाम नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु तहसीलदार को निर्देशित किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलांट अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए तहसीलदार, अजमेर से उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया कि अपीलांट द्वारा नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु तहसीलदार, अजमेर के समक्ष प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न विक्रय पत्रों में अंकित खसरा नम्बरान का रकबा वर्तमान राजस्व रेकार्ड से तथा विक्रेताओं का खातेदार के रूप में राजस्व रेकार्ड से मिलान नहीं होने से नामान्तरकरण बाबत कोई आदेश पारित नहीं किया गया। खातेदारों का राजस्व रेकार्ड से मिलान नहीं होने से किसी प्रकार के आदेश पारित नहीं किये जा सकते है। अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 8–11–2013 विधिसम्मत है। अतः अपीलांट की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने अपीलांट अभिभाषक के विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि तहसीलदार द्वारा पारित आदेश में उल्लेखित है कि अपीलांट द्वारा नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु तहसीलदार, अजमेर के समक्ष प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न विक्रय पत्रों में अंकित खसरा नम्बरान का रकबा वर्तमान राजस्व रेकार्ड से तथा विक्रेताओं का खातेदार के रूप में राजस्व रेकार्ड से मिलान नहीं होने से नामान्तरकरण बाबत कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। खातेदारों का राजस्व रेकार्ड से मिलान नहीं होने से किसी प्रकार के आदेश पारित नहीं किये जा सकते है। ग्राम गगवाना में स्थित विवादग्रस्त आराजियात हाल खसरा नम्बर 846 से 849, 859 साबिक खसरा नम्बर 659 से 662 एवं 670 कुल रकबा 14 बीघा 18 बिस्वा 10 बिस्वांसी का पंजीकृत बेचाननामे के अनुसार तहसीलदार, अजमेर के समक्ष नामान्तरकरण स्वीकृति हेतु आवेदन किया। पटवारी हलका की रिपोर्ट दिनांक 24–10–2011 में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि ग्राम गगवाना में स्थित आराजी खसरा नम्बर 846 रकबा 05–01–00 वर्तमान में खातेदार महबूब खां पुत्र नसीर खां पठान के नाम, खसरा नम्बर 847 रकबा 0–18–00 व 859 रकबा 2–02–10 खातेदार मुराद खातून पुत्री दाऊद खां के नाम तथा खसरा नम्बर 848 रकबा 0–16–00 व खसरा नम्बर 849 रकबा 03–03–10 खातेदार गोश मो0 खान पिसरान हसन मो0 खा, अफजल, खातून, इनायत खातून, मुराद खातून पुत्रियान हसन मो0 खा. पठान के नाम वर्किंग जमाबंदी में दर्ज है। पटवारी हलका गगवाना की उक्त रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार, अजमेर ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र में अंकित खसरा नम्बरान के रकबे का वर्तमान राजस्व रेकार्ड से व विक्रेताओं का खातेदार के रूप में राजस्व रेकार्ड से मिलान नहीं होने के कारण अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा भी अपने आदेश में विधिक तथ्यों का समावेश करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 8–11–2013 पारित किया है जो विधिसम्मत होने से उसमें किसी

प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। उक्त तथ्यों के आधार पर अपीलांट की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय (जिला कलक्टर, अजमेर) द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 08–11–2013 अन्तर्गत अपील संख्या 06/2012 बउनवान श्री मुमताज मोहम्मद बनाम राज0 सरकार विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर